प्रेस नोट दिनांक 25.06.2026

थाना बारादरी जनपद बरेली।

थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले शातिर चोर गैंग के 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया जेवर (कीमत करीब 25 लाख रु0), 45,950/-रुपये आदि बरामद।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 04.06.2026 को श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री एस0एन0 अग्रवाल निवासी सुरेश शर्मा नगर थाना बारादरी बरेली द्वारा अज्ञात चोरो द्वारा रात्रि लगभग 02.00 बजे वादी मुकदमा तथा गिरीराज किशोर मांगलिक पुत्र श्री के0सी0 मांगलिक निवासी उपरोक्त के मकानो का ताला तोडकर घर में रखे सोने चांदी के आभूषण, सामान व नगद रूपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी। सूचना पर थाना बारादरी पर मु0अ0स0 0737/2026 धारा 331(4)/305 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात चोर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गयी थी तथा थाना स्तर पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निर्देशन में टीम का गठन कर घटनास्थलो के आस पास लगे सीसीटीवी फुटेज आदि को चैक कर गहन अवलोकन किया गया, काफी अथक प्रयासो के बाद 03 संदिग्ध व्यक्तियो को ट्रेस किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु निरंतन पुलिस टीमों द्वारा दबिशे दी जा रही थी।

दिनांक 25.06.2026 को मुखबिर खास ने सूचना दी कि साहब आपके मुकदमें से सम्बन्धित 02 अभियुक्त व 01 महिला अभियुक्ता किसी घटना को कारित करने की फिराक मे सम्राट अशोक नगर वाले रास्ते में पेड़ के पास खड़े है। मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना बारादरी पुलिस टीम द्वारा **02 अभियुक्त 1. राजा खान पुत्र शबदर नि० कबूलपुरा थाना कोतवाली जनपद बदायू 2. यूसूफ पुत्र नईम नि० कबूलपुरा गौटिया थाना कोतवाली बदायू उम्र 21 वर्ष तथा 01 अभियुक्ता 1. हिना पत्नी अकबर नि० कबूलपुरा थाना कोतवाली जनपद बदायूं** को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगणो के कब्जे से पीली धातु के 02 गले के हार, 01 चेन, 04 अगूठी, 01 जोडी झूमकी, 01 जोडी कुन्डल, 05 जोडी टॉप्स, 01 मंगलसूत्र, 01 पेन्डेन्ट, 01 नोजपिन व सफेद धातु की 03 पायल व 02 सिक्के, 04 गिलास, 02 कटोरी, 01 गोला, 02 प्लेट, 01 कलश, 01 चम्मच, कुल 45,950/- रुपये नगद व 01 मोबाइल फोन बरामद हुए है। बरामद समान की कीमत करीब 25 लाख रुपये है। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण व अभियुक्ता को मय चोरी के माल के मा0 न्यायालय में पेश किया गया।

पूछताछ एवं अभियुक्त का विवरण (जैसे कि वह कहाँ का रहने वाला है, कितना पढ़ा-लिखा है,पूर्व में/वर्तमान क्या करता/करती है, घटना स्थल किस तरह पहुँचा और अपराध में संलिप्त करने का कारण आदि)-

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर राजा खान उपरोक्त ने बताया कि दिनाक 01.06.2026 को मै अपने साथ यूसूफ को लेकर घूमने के लिये बरेली आया था, दिन मे मैने सुरेश शर्मा नगर कालोनी मे दो मकानो पर ताले लगे देखे तो मैने अकबर के पास फोन कर उसके बन्द मकानो के बारे मे बता दिया था। शाम को 8 बजे के करीव अकबर अपने साथ हसन उर्फ डबुआ को लेकर रोडवेज पर आ गया था, वही पर हम चारो लोगो ने खाना खाने के बाद रात्रि के करीब 12 बजे सुरेश शर्मा नगर मे घर देखने के लिये गये थे। घर देखने के बाद हम चारो वही पास के खाली प्लॉट मे 2 घण्टे के करीब बैठे रहे। रात्रि के करीब 02 बजे हम चारो कोने वाले घर का ताला तोडकर अन्दर घुस गये और घर की अलमारी मे रखे सोने चाँदी के जेबरात व बर्तन व कुछ नगद रुपये चोरी किये थे। बाद मे हम लोग बराबर वाले घर मे ताला तोडकर घुस गये थे, दूसरे घर मे से भी हमने सोने चादी के जेबरात व नगदी चोरी की थी। आज हम लोग चोरी किये हुए सोने व चादी को बेचने के लिये आये थे। हिना मेरे भाई अकबर की पत्नी है, चोरी का सामान बिकवाने व छुपाने मे हमारी मदद करती है। चोरी करने के बाद हम चारो अलग अगल चले गये थे। अकबर ने कहा था कि मामला ठण्डा होने पर सामान बेचकर आपस मे बंटवारा कर लेगे। मेरे पास से जो माल बरामद हुआ है व दूसरे वाले घर का है जो चादी के बर्तन हिना के पास है, वह पहले वाले घर से चोरी किये थे। नगद रुपये हम लोगो ने खर्च कर लिये थे। हिना उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मेरे पति अकबर व देवर राजा बन्द घरो मे चोरी करते है। पहले भी कई बार चोरी की घटना मे जेल जा चुके है, मेरा काम चोरी का माल छुपाना व बेचने का है। आज भी इन लोगो को साथ लेकर चोरी का माल बेचने के लिये आयी थी कि पुलिस ने हम लोगो को पकड़ लिया।

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरणः-</u>

1. मु0अ0स0 0737/2026 धारा 331(4)/305/317(2) बी0एन0एस0 थाना बारादरी बरेली।

<u>अभियुक्त व अपराधिक इतिहासः –</u>

1. राजा खान पुत्र शबदर निवासी कबूलपुरा थाना कोतवाली जनपद बदायूं।

1. मु0अ0स0 0737/2026 धारा 331(4)/305/317(2) बी0एन0एस0 थाना बारादरी बरेली।
2.मु0अ0स0 0159/2017 धारा 380/457 भादवि थाना कोतवाली जनपद बदायूं।
3.मु0अ0सं0 500/2017 धारा 380/457 भादवि कोतवाली जनपद बदायूं।
4.मु0अ0स0 0362/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद बदायूं।
5.मु0अ0सं0 503/2017 धारा 3/25ए आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद बदायूं।
6.मु0अ0सं0 0318/2018 धारा 413 भादवि थाना कोतवाली जनपद बदायूं।
7.मु0अ0सं0 053/2019 धारा 380/457/427/511 भादवि थाना सिविल लाइंस जनपद बदायूं।
8.मु0अ0सं0 0318/2018 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली जनपद बदायूं।
9.मु0अ0सं0 075/2019 धारा 380/411/457 भादवि थाना सिविल लाइंस जनपद बदायूं।

<u>वरण बरामदगीः-</u>

पीली धातु के 02 गले के हार, 01 चेन, 04 अगूठी, 01 जोडी झूमकी, 01 जोडी कुन्डल, 05 जोडी टॉप्स, 01 मंगलसूत्र, 01 पेन्डेन्ट, 01 नोजपिन व सफेद धातु की 03 पायल व 02 सिक्के, 04 गिलास, 02 कटोरी, 01 गोला, 02 प्लेट, 01 कलश, 01 चम्मच, कुल 45,950/- रुपये नगद व 01 मोबाइल फोन (बरामद सामान की कीमत करीब 25 लाख रुपये)

<u>गठित टीम का विवरणः-</u>

- प्र0नि0 श्री बिजेन्द्र कुमार थाना बारादरी बरेली।
- निरीक्षक श्री सुनील कुमार शर्मा प्रभारी एसओजी मय टीम जनपद बरेली।
- निरीक्षक श्री संजय तोमर प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद बरेली।
- उ0नि0 कुशलपाल सिंह चौकी प्रभारी जोगी नवादा थाना बारादरी बरेली।
- का0 3286 पवन नागर थाना बारादरी बरेली।
- का0 402 जयविन्द कुमार थाना बारादरी बरेली।
- का0 1727 नितीश कुमार थाना बारादरी बरेली।
- म0का0 3080 कोमल शर्मा थाना बारादरी बरेली।